

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक :-
प्रस्तुत दिनांक :-29/01/2016

नं. - 469-16

गुलाबसिंह आयु लगभग 69 साल, आ0
घूडनसिंह राजपूत निवासी टिमरनी
तहसील टिमरनी जिला हरदा म.प्र.

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. पोखरसिंह उर्फ पुखराजसिंह आ. घूडनसिंह राजपूत
2. दुर्गाबाई बेवा ओमकारसिंह राजपूत
3. युवराजसिंह आ. श्री ओमकार सिंह राजपूत
सभी निवासी ग्राम नवलगांव तहसील सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद म0प्र0
4. श्रीमति रेणुका पुत्री ओमकारसिंह राजपूत पत्नि
दिग्विजयसिंह चौहान निवासी नाला मोहल्ला इटारसी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद म0प्र0
5. उषाबाई वि. करतारसिंह राजपूत
6. आलोक पिता करतारसिंह राजपूत
7. लोकेश पिता करतारसिंह राजपूत
8. पूजा पुत्री करतारसिंह राजपूत
क्रमांक 5 से 8 निवासी ग्राम बड़ियाखेड़ी
तहसील सीहोर जिला सीहोर मप्र0
9. मालतीबाई पुत्री घूडनसिंह राजपूत पत्नि लखनसिंह चौहान
निवासी बालागंज होशंगाबाद तहसील व जि0होशंगाबादमप्र0
10. नर्मदाबाई पुत्री घूडनसिंह राजपूत पत्नि मदनसिंह तौमर
निवासी ग्राम मढ़ावन तहसील बाबाई जिला होशंगाबाद मप्र
11. दमाबाई पुत्री घूडनसिंह राजपूत पत्नि जगदीश सिंह चौहान
निवासी जामखेड़ तहसील पाचौर जिला जालना महाराष्ट्र
12. विनोद आ. स्व0 जगदीशसिंह राजपूत
13. प्रमोद आ. जगदीश सिंह राजपूत
क्रमांक 12 व 13 निवासी ग्राम माघपुर पोस्ट माघपुर
तहसील कालमुखी जिला पूर्वी निमाड़ खण्डवा
14. रश्मि पुत्री स्व. जगदीशसिंह राजपूत निवासी
ग्राम अर्चनागांव तहसील सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद
म0प्र0

-----अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 52 म0प्र0भू0रा0संहिता ।

याचिकाकर्ता निम्न न्यायालय तहीलदार महोदय सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद राजस्व प्रकरण क्रमांक 3अ/06 वर्ष 12-13 एवं राजस्व प्रकरण क्रमांक 4अ/06 वर्ष 12-13 मे पारित आदेश दिनांक 16/09/2013 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है :-

श्री. म. क. सि. म.
न. सि. म. म. म.
29.1.16 को
0321

MF
29/2/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-469/P/16... जिला होस.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23 8/16 मेरठ	आवेदक की कार के निम्न मदिरास उपस्थित/ गणकम गणानो इकाती जाल/ लक्षित निवृत्तिपत्र के निमित्त संशय (F 25-10-16 मेरठ 25-10-16
25/10/2016	आवेदक अभिभाषक सूचना उपरोक्त अनुपाथित/ लीनकार पुकार लगवायी गयी, फि भी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अभिभाषक की अनुपाथित में प्रकरण अदम पेंरवी में रवारीज किया जाता है।	... अध्यक्ष